

कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।

पत्रांक/मान्यता/ शि०सं०/ 6450-51 / 2022-23 दिनांक 04/11/2023

प्रबन्धक,

अर्वाचीन पब्लिक स्कूल,

सैक्टर-14 बसुन्धरा गाजियाबाद।

आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 30-12-2020 द्वारा विद्यालय की मान्यता को स्थायी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अभिलेखों के अनुसार विद्यालय को नर्सरी से कक्षा 08 तक माध्यम-अंग्रेजी की मान्यता अस्थायी रूप से इस कार्यालय संयुक्त सचिव उ० प्रशासन के पत्रांक/ मान्यता -शि० सं०/211/79-6-2006/2006-07 दिनांक 03-01-2007 द्वारा प्रदान की गई थी।

सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद की संस्तुति दिनांक 02-01-2023 के आधार पर शासनादेश संख्या- 89/ अरसठ-3-2018-2041 दिनांक 11-01-2019 एवं शासनादेश संख्या-196 /अडसठ- 3-2020 -2041 /2018 दिनांक 29 जून 2020 द्वारा किये गये संशोधन आदेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार मान्यता की नवीन शर्तें पूर्ण करने तथा विद्यालय के विरुद्ध कोई शिकायत न होने के कारण विद्यालय को दी गई मान्यता स्थायी की जाती है। विद्यालय को भविष्य में भी स्थायी मान्यता की शर्तों के मानक को बनाये रखना होगा अन्यथा विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहर्ण की कार्यवाही की जायेगी।

(विनोद कुमार मिश्र)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

गाजियाबाद।

पृ० सं०/शि०सं०/

/ 2022-23 तददिनांक

प्रतिलिपि- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद